प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

"चयन भवन" मैन रोड नं. – 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462 011

क्रमांक/पी.ई.बी/प–1/5918/2018 भोपाल, दिनांक 11/12.2018

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–8–2/05/आप्र/एक दिनांक 08.09.2011 एवं पत्र क्रमांक 364/280/2017/आ.प्र./एक,भोपाल, दिनांक–31 मई 2017 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रवेश/चयन परीक्षाओं में निःशक्तजन (दिव्यांग) के लिये म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा पूर्व में जारी ऑनलाईन परीक्षाओं हेतु जारी आदेश क्रमांक/पीईबी/प–1/3454/2018 दिनांक 13/07/2018 में उल्लेखित सुविधाओं में नीचे दिये विवरण के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

(अ) अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जावेगी :–

1. दृष्टिबाधित,उपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी ।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी ।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आश्य का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो ।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो ।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाऐं :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ–पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा दिनांक से दस दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपिरहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i.) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्ते :–

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से कम होना चाहिये । उदाहरण के लिये यदि परीक्षार्थी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेण्डरी होना चाहिए।

(ii.) प्रतिपूरक समय हेतु शर्ते :–

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है, तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऐं :–
यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा ।
(संचालक द्वारा अनुमोदित)

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल

पृ.कमांक/पी.ई.बी/प–1/ /2018 भोपाल, दिनांक / /2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय पी.ई.बी, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. संचालक पी.ई.बी, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त शाखा प्रभारी/अधिकारी पी.ई.बी, भोपाल की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. समन्वयक/परीक्षा अधीक्षक——————————————————की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ता/—
नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल